प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 27.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- 250 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थो के निर्माण /तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व नशे का कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 श्री तेजराम सिह थाना मुगलपुरा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त कलुआ उर्फ सरदार पुत्र गुलजार शाह निवासी मोहल्ला बरबलान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुगलपुरा पर मु0अ0सं0-283/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- 20 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को थाना बिलारी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के निर्माण /तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व नशे का कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 श्री यशवीर सिंह थाना बिलारी जिला मुरादाबाद मय हमराही पुलिस टीम के साथ अभियुक्त राजेश पुत्र जागन निवासी मोहल्ला कोरियान बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना बिलारी मुरादाबाद को एक जरी कैन में 20 लीटर अबैध कच्ची शराब बरामद होने पर गिरफ्तार किया गया। बारमदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त राजेश के विरूद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 791/2024 धारा 60 आवकारी एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3- बोलेरो कार को तेजी व लापरवाही से चलाने वाले व जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर बोलेरो कार चढा देने के अभियुक्त को थाना मझोला पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.12.2024 को वादी मुकदमा श्री सिद्धांत सिंह पुत्र श्री अशोक ठाकुर निवासी चौकी बस्ती लाइन पार थाना मझोला मुरादाबाद से प्राप्त तहरीर की प्रतिबादी मेहर सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह निवासी गुरुद्वारा गागन के पास थाना मझोला जनपद मुरादाबाद के द्वारा बोलेरो कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जिससे वादी सिद्धान्त सिंह व विशाल सिंह चौहान को गंभीर चोटें आने व जान से मारने की नियत से कार को ऊपर चढा देने के संबध में दाखिल की गई, तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मुकदमा अपराध संख्या 1126/24 धारा 281/109 बी एन एस बनाम मेहर सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह निवासी गुरुद्वारा गागन के पास थाना मझोला जनपद मुरादाबाद पंजीकृत किया गया , बोलेरो कार को तेजी व लापरवाही से चलाने व जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा पर चढाने के अभियुक्त मेहर सिंह उपरोक्त को आज दिनांक 27.12.204 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

4- थाना मूँढापाण्डे पुलिस ने 01 वारंटी को किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27.12.2024 को थाना मूँढापाण्डे पुलिस द्वारा वारण्टी रिन्कू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम पैदुरिया भायपुर थाना मूँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद संबंधित मु0अ0सं0-336/23 धारा - 323/504/325 भादवि0 को गिरफ्तार कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 राजकुमार सिंह

उत्तर प्रदेश पुलिस